



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 चैत्र, 1943 (श०)

संख्या- 256 राँची, गुरुवार,

01 अप्रैल, 2021 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

03 मार्च, 2021 ई०।

संख्या:- 11/बंदी विविध-07/2019- 1294 --केन्द्रीय कारा, मेदिनीनगर, पलामू में संसीमित आजीवन कारावास की सजा प्राप्त निम्नांकित बंदियों को झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की दिनांक-04.12.2020 एवं 25.02.2021 को आहूत बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंसा के आलोक में आवश्यक समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा कारा से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है:-

क्र०	सजावार बंदी का नाम, पिता का नाम एवं उम्र	पूरा पता	सत्रवाद सं. एवं धारा
1	2	3	4
1.	नान्हू मेहता, पे.- किशुन मेहता, उम्र- 89 वर्ष लगभग	सा.- राजा घुटुवा, थाना- मझिआँव, जिला गढ़वा	सत्रवाद सं.-10/2006, मझिआँव थाना काण्ड सं.-67/2005, जी.आर.- 512/2005, धारा- 302 भा.द.वि.

2.	रामाश्रय रजवार उर्फ राम असुरेश रजवार, पे.- सुखाड़ी रजवार, उम्र- 77 वर्ष लगभग	सा.- सारंग, थाना- नगर उँटारी, जिला गढ़वा	सत्रवाद सं० 43/2004 नगर उँटारी थाना काण्ड सं.- 57/2002, जी. आर. 367/2002, धारा- 302/34, 307/34, 326/34 भा.द.वि.
3.	राजेन्द्र रजवार, पे.- इन्द्रदेव रजवार, उम्र- 53 वर्ष लगभग,	सा.- सारंग, थाना- नगर उँटारी, जिला गढ़वा।	सत्रवाद सं.- 43/2004, जी. आर.- 367/2002, धारा- 302/34, 307/34, 326/34 भा.द.वि.
4.	धनेश्वर मांझी, पे.- मनरूप मांझी, उम्र- 73 वर्ष लगभग	सा.-खैरांट, थाना-लेस्लीगंज, जिला- पलामू	सत्रवाद सं.- 250/2005, लेस्लीगंज थाना काण्ड सं.- 64/2003, जी. आर.- 1244/2003, धारा- 302 भा.द.वि.
5.	राजेन्द्र चौधरी, पे.- रामदास चौधरी, उम्र- 49 वर्ष लगभग	सा.- करीवाडीह, थाना- मझिआँव, जिला-गढ़वा	सत्रवाद सं.-603/1998, 92ए./2000 मझिआँव थाना काण्ड सं.- 79/1993, जी.आर.- 622/1993, धारा-302, 307 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट

2. उपरोक्त सभी बंदियों को कारामुक्ति के पूर्व संलग्न शपथपत्र भरना अनिवार्य होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।
